न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 46/2019

अपीलार्थी–   ***बनाम***   **उत्तरदाता–**

गुलाम रसूल पुत्र हुसैन जाति मुसलमान निवासी लूणा खुर्द तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश क्रमांक 1007 दिनांक 09.04.2018 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनिल के मेराजा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम, राजकीय अभिभाषक उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 27.07.2021

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1007 दिनांक 09.04.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम लूणू खुर्द के खसरा नम्बर 319 गै.मु. पहाड़ राजकीय भूमि पर अतिक्रमी गुलाम पुत्र हुसैन जाति मुसलमान निवासी रतरेड़ी तहसील शिव द्वारा नाजायज अतिक्रमण कर ईंटों के झोंपे बना कर अतिक्रमण करने व बावजूद समझाईस अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण नायब तहसीलदार द्वितीय के राजस्व राजस्व कार्मिकों की टीम गठित की जाकर उक्त अतिक्रमण हटाते हुए पालना प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश क्रमांक : राज/18/1007 दिनांक 09.04.2018 पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 20.09.2019 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.28 17:05:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

शपथ-पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु निवेदन किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब की गई।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ग्राम लूणू खुर्द की आबादी भूमि खसरा नम्बर 318 रकबा 21-02 बीघा के सेढे पर अवस्थित अपीलांट के रहवासीय परिसर को खसरा नम्बर 319 में बताते हुए अपीलांट्स को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।

5. अपीलांट्स की ओर से यह भी प्रकट किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके पर आबादी भूमि की पैमाईश नही गई तथा अपीलांट के 50 पुराने कब्जे की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अपीलांट मूल रूप से ग्राम लूणू खुर्द का ही निवासी हैं जबकि आलौच्य आदेश में गांव रतरेड़ी तहसील शिव का निवासी बताया गया हैं जो गलत हैं। अपीलांट के ग्राम लूणू खुर्द में ही मतदाता परिचय-पत्र, आधार कार्ड, [illegible] कार्ड, राशनकार्ड, मूल निवास प्रमाण-पत्र इत्यादि दस्तावेज [illegible] न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व [illegible]नुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.28 17:05:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

और न ही अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। अपीलांट को अपीलाधीन कार्यवाही में किसी प्रकार की सूचना नहीं होने से अपीलाधीन आदेश की तत्समय कोई जानकारी नही हुई तथा अभी चार दिन पहले हल्का पटवारी चूली द्वारा बताया गया कि विवादित जगह पर आपका अतिक्रमण होने से इसे ध्वस्त किया जायेगा। इस पर उक्त आदेश की जानकारी हल्का पटवारी से होने से यह अपील सम्यक तत्परता से प्रस्तुत की गई है फिर भी कानूनी प्रक्रिया अनुसार धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1007 दिनांक 09.04.2018 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की बेदखली रोकी जावें।

6. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे राजकीय अभिभाषक ने प्रकट किया है कि ग्राम लूणू खुर्द के खसरा नम्बर 319 गै.मु. पहाड़ राजकीय भूमि पर अतिक्रमी गुलाम पुत्र हुसैन जाति मुसलमान निवासी रतरेड़ी तहसील शिव द्वारा नाजायज अतिक्रमण कर ईंटों के झोंपे बना कर अतिक्रमण करने व बावजूद समझाईस अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण नायब तहसीलदार द्वितीय के राजस्व राजस्व कार्मिकों की टीम गठित की जाकर उक्त अतिक्रमण हटाते हुए पालना प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश क्रमांक : राज/18/1007 दिनांक 09.04.2018 पारित किया गया। अपीलांट द्वारा ग्राम की आबादी भूमि से बाहर गैर मुमकीन पहाड़ की भूमि पर नाजायज कब्जा करने का प्रयास करने पर राजस्व अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा बार–बार समझाईस की गई, किन्तु अपीलांट द्वारा बेपरवाह एवं बेखौफ होकर निर्माण कर अतिक्रमण किया गया। इस पर अधिकारियों की समझाईस के बावजूद [illegible] पर राजकीय भूमि पर नाजायज कब्जे को हटाने [illegible] किया गया हैं, वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है तथा अपीलांट्स की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.28 17:05:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक के तर्कों पर मनन किया। अपीलांट ने ग्राम लूणू खुर्द की आबादी भूमि में अपना रहवासीय कब्जा होना प्रकट किया हैं कि जबकि राजस्व अधिकारियों द्वारा उसे बार-बार समझाईस की गई थी कि उसका कब्जा गैर मुमकीन पहाड़ की सरकारी भूमि पर हैं। ऐसे में यदि उसका कब्जा आबादी एवं सरकारी भूमि के सेढे पर आ रहा था तो सरपंच ग्राम पंचायत से पैमाईश कराने का निवेदन करते आबादी भूमि का सत्यापन एवं नियमानुसार पंचायत से पट्टा एवं निर्माण की अनुमति प्राप्त कर वैध तरीके से निर्माण कराया जाना चाहिए था। आबादी भूमि के स्वामित्व एवं अवस्थिति का सत्यापन कराये बिना मनमाने तरीके से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करना किसी भी दशा में क्षम्य नहीं किया जा सकता हैं। जहां तक अपीलांट का कथन हैं कि उसका पुराना 50 वर्षों से आबादी में कब्जा हैं तो फिर अब तक ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा हेतु भी आवेदन किये जाने का तथ्य रेकर्ड पर नहीं हैं, जिससे यह साबित हों कि अपीलांट्स का कब्जा विधिवत होकर मुतनाजा सरकारी भूमि पर नही हैं। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट उल्लेखित किया हैं कि अतिक्रमी को बार-बार समझाईस करने बावजूद नाजायज कब्जा अतिक्रमण नहीं हटाया हैं। इस प्रकार अपीलांट का यदि मुतनाजा भूमि पर उसका कोई विधि सम्मत अधिकार है तो उसे राजस्व अधिकारियों को मौके पर एवं इस अपील के संलग्न भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इसके उपरांत भी अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही करनी चाहिए थी। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा खातेदारी हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया है, ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को बेदखल करने का जो निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.28 17:05:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2018 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन आदेश के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

9. निर्णय आज दिनांक 27.07.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.28 17:05:07 IST
Reason: SelfAttested